



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269027
CG-DL-E-02012026-269027

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5938]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 5938]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6148(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4558 तारीख 07/10/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के भागलपुर जिले में NH80 के कि.मी. 95.7 से कि.मी. 192.33 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 24/12/2025 को “ द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया”, 24/12/2025 को “ दैनिक जागरण” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के भागलपुर जिले में NH80 के कि.मी. 95.7 से कि.मी.192.33 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: भागलपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पीरपैती					
गांव का नाम: सलेमपुर (९८)					
1	231	निजी	भीठ 2	0.0172	धर्मदेव प्रसाद राम पिता जर्नाधन प्रसाद राम 231 Ansh
तालुक का नाम: कहलगँव					
गांव का नाम: जगेसरपुर (२३५)					
2	358	निजी	भीठ 2	0.0041	सुनीता कुमारी पति रामानंद सिंह 358 Ansh
गांव का नाम: रोहर (२०७)					
3	180	निजी	भीठ 2	0.0121	अब्दुल हन्नान वो शेख कासिम पिता शेख हफ़ीज़ 180 Ansh
गांव का नाम: सीरी कंठपुर (२४२)					
4	11	निजी	भीठ 2	0.0142	अनिल यादव वो राकेश कुमार यादव पिता इंद्रदेव यादव 11 Ansh
गांव का नाम: औरंगाबाद (२९४)					
5	16	निजी	भीठ 1	0.004	किशोरी सिंह पिता मलोकी सिंह 16 Ansh
6	16	निजी	भीठ 1	0.003	अयोध्या सिंह पिता रोहिन सिंह 16 Ansh

7	16	निजी	भीठ 1	0.0061	विनय सिंह पिता स्वर्गीय एतवारी सिंह 16 Ansh
8	16	निजी	भीठ 1	0.0334	सखी चंद्र सिंह पिता लक्ष्मण सिंह 16 Ansh
9	16	निजी	भीठ 1	0.0061	विनोद यादव पिता अमृत यादव 16 Ansh
गांव का नाम: सुंदरपुर (३८०)					
10	548	निजी	भीठ 2	0.0121	मीरा देवी पति शिव नारायण मंडल 548 ANSH
11	675	निजी	भीठ 2	0.0061	पिंकू कुमार पिता स्वर्गीय शिवल मंडल 675 ANSH
गांव का नाम: शंकरपुर कोद्वार (41)					
12	7594	निजी	भीठ 2	0.0041	भागवत मंडल वो टुनटुन मंडल पिता स्वर्गीय धनेश्वर मंडल वो कामेश्वर मंडल पिता कैलू मंडल वो छबू मंडल पिता कैलू मंडल वो मन्नू मंडल वो प्रमोद मंडल पिता रामेश्वर मंडल वो मसोमात फुलवा देवी पति स्वर्गीय बबलू मंडल 7594 Ansh
13	7836	निजी	भीठ 2	0.0162	लक्ष्मी नारायण यादव पिता बजरंगी यादव 7836 Ansh
तालुक का नाम: सुल्तानगंज					
गांव का नाम: भवनाथपुर (५९)					
14	1004	निजी	भीठ 2	0.0162	राम बालक राय वो मनोज कुमार राय पिता स्वर्गीय बालगोविंद राय 2 अंश वो मसोमात सरिता देवी पति स्वर्गीय शिव बालक राय 1 अंश 1004 Ansh
Total				0.1549	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

S.O. 6148(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4558 Dated:07/10/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH80 in the stretch of land from Km. 95.7 to Km. 192.33 in the district of BHAGALPUR in the state of BIHAR

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” dated 24/12/2025, “Dainik Jagran” dated 24/12/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH80 in the stretch of land from Km. 95.7 to Km. 192.33 in the district of BHAGALPUR in the state of BIHAR

State: BIHAR			District: BHAGALPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pirpainti					
Village: Salempur (98)					
1	231	Private	BHITH 2	0.0172	Dharmdev Prasad Ram S/o Jarandhan Prasad Ram 231 Ansh
Taluk: Kahalgaon					
Village: Jagesarpur (235)					
2	358	Private	BHITH 2	0.0041	Sunita Kumari W/o Ramanand Singh 358 Ansh
Village: Rohar (207)					
3	180	Private	BHITH 2	0.0121	Abdul Hannan wo Sheikh Kasim s/o

					Sheikh Hafeez 180 Ansh
Village: Siri Kanthpur (242)					
4	11	Private	BHITH 2	0.0142	Anil Yadav Wo Rakesh Kumar Yadav S/o Indradev Yadav 11 Ansh
Village: Aurangabad (294)					
5	16	Private	BHITH 1	0.004	Kishori Singh S/o Maloki Singh 16 Ansh
6	16	Private	BHITH 1	0.003	Ayodhya Singh S/o Rohin Singh 16 Ansh
7	16	Private	BHITH 1	0.0061	Vinay Singh S/o Late Etwari Singh 16 Ansh
8	16	Private	BHITH 1	0.0334	Sakhi Chandra Singh S/o Laxman Singh 16 Ansh
9	16	Private	BHITH 1	0.0061	Vinod Yadav S/o Amrit Yadav 16 Ansh
Village: Sundarpur (380)					
10	548	Private	BHITH 2	0.0121	Mira Devi W/o Shiv Narayan Mandal 548 ANSH
11	675	Private	BHITH 2	0.0061	Pinku Kumar S/o Late Shival Mandal 675 ANSH
Village: Shankarpur Kodwar(41)					
12	7594	Private	BHITH 2	0.0041	Bhagwat Mandal wo Tuntun Mandal S/o Late Dhaneshwar Mandal wo Kameshwar Mandal S/o Kailu Mandal wo Chhabbu Mandal S/o Kailu Mandal wo Mannu Mandal wo Pramod Mandal S/o Rameshwar Mandal wo Masomat Fulwa Devi W/o Late Bablu Mandal 7594 Ansh
13	7836	Private	BHITH 2	0.0162	Laxmi Narayan Yadav S/o Bajrangi Yadav 7836 Ansh

Taluk: Sultanganj					
Village: Bhaunathpur (59)					
14	1004	Private	BHITH 2	0.0162	Ram Balak Rai Wo Manoj Kumar Rai S/o Late Balgovind Rai 2 Ansh Wo Masomat Sarita Devi W/o Late Shiv Balak Rai 1 Ansh 1004 Ansh
Total				0.1549	

[F. No. NHAI/12010/06/BGS/2016/Tech/6904/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director